निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 25 वर्ष 2020-2021

यह निरीक्षण प्रतिवेदन, अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम हरिद्वार के द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता निर्माण शाखा, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम हरिद्वार के माह 10/2019 से 08/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अक्षय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री आशीष कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, द्वारा दिनांक 08/09/2020 से 19/09/2020 तक श्री वी॰ पी॰ सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री संजय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी व श्री अनुज सिंघल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 03/10/2019 से 17/10/2019 तक श्री दानिश इकबाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 08/2015 से 09/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 10/2019 से 08/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः जनपद हरिद्वार के अंतर्गत जलापूर्ति के निर्माण से संबन्धित कार्य किए जाते है ।
3. (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राशि / अवशेष	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना (समर्पित)	गैर स्थापना (अवशेष)
2017-18	318.49	-	3650.11	2585.20	422.07	422.07		
2018-19	1383.40	-	4659.38	4501.79	718.32	718.32		
2019-20	1540.99	-	3289.26	2929.26	554.11	554.11		
2020-21	1900.99	-	1317.56	1792.94	262.72	262.72		

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः (` लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
2017-18	केंद्र पोषित	1382.41	5369.69	5211.11	
2018-19	केंद्र पोषित	1540.99	1305.81	2597.88	
2019-20	केंद्र पोषित	248.92	1641.83	1156.29	
2020-21	केंद्र पोषित	734.45	144.92	879.37	

(ii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई की श्रेणी “A” है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(1) सचिव, पेयजल उत्तराखंड शासन।

(2) प्रबन्ध निदेशक पेयजल निगम देहरादून उत्तराखंड।

(3) मुख्य अभियंता गढ़वाल क्षेत्र, पौड़ी।

(4) अधीक्षण अभियंता, निर्माण मण्डल देहरादून।

(5) अधिशासी अभियंता निर्माण शाखा पेयजल निगम हरिद्वार ।

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम हरिद्वार को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन

अधिशासी अभियंता निर्माण शाखा, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम हरिद्वार की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2020 एवं 07/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। तथा "सलेमपुर पेयजल योजना" का विस्तृत विश्लेषण किया गया जिसका प्रतिचयन लेखापरीक्षा अवधि मे अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

4. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक 21/1/20 से 23/1/2 तक निरीक्षण किया गया।
5. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 3/20 तक की गई।
6. फार्म 51: माह 8/2020 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः- (धनराशि रु मे) फार्म 51 लागू नहीं है ।

   भाग प्रथम .... शून्य

   भाग द्वितीय .... शून्य

7. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 08/2020 के अन्त में (धनराशि रु मे)

(क)	प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम	शून्य
(ख)	सामग्री क्रय	शून्य
(ग)	नगद परिशोधन	रु 26341
(घ)	निक्षेप	रु 143782564.49
(ङ)	भण्डार	रु 359.094

भाग-2(ब)

प्रस्तर-1: पाँच निर्माण कार्यों पर स्वीकृत एवं अवमुक्त धनराशि से रु 92.48 लाख अधिक व्यय किया जाना।

सामान्य वित्तीय नियमों एवं प्रावधानों तथा कार्य की स्वीकृति से संबंधित शासनादेशों में निहित प्रतिबंधों एवं शर्तो के अनुसार किसी भी कार्य पर उतना ही व्यय किया जाना चाहिए, जितनी राशि उस कार्य के लिए स्वीकृत हुई है। किसी भी दशा में उस कार्य के लिए स्वीकृत एवं प्राप्त धनराशि से अधिक व्यय नहीं किया जाना चाहिए तथा दायित्व का सृजन नहीं किया जाना चाहिए।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखंड, पेयजल निगम, हरिद्वार के लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा निम्नलिखित पाँच यजनाओं/कार्यों के संबंध में स्वीकृत एवं अवमुक्त धनराशि से रु 92.48 लाख का अधिक व्यय किया गया था। विवरण निम्नानुसार था।

(रु लाख में)

क्रम संख्या	**योजना का नाम**	**स्वीकृत धनराशि**	**अवमुक्त धनराशि**	**कुल व्यय**	**अधिक व्यय**
1	**राज्य सैक्टर कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त विधान सभा में 5-5 हैण्डपम्पो के अधिष्ठापन का कार्य**	59.18	59.18	66.23	7.05
2	**मा॰ मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अंतर्गत रुड़की विधानसभा में 50 नए हैण्डपम्पो के अधिष्ठापन का कार्य**	66.14	66.14	75.05	8.91
3	**जिला योजना 2014-15 में हैण्डपम्प रिबोर**	80.00	80.00	142.61	62.61
4	**बालेकी युसुफपुर पम्पिंग पेयजल योजना**	115.34	115.34	123.66	8.32
5	**कुंवाहेड़ी पेयजल योजना**	47.78	47.78	53.37	5.59
					92.48

इस प्रकार इकाई द्वारा उपरोक्त पाँच निर्माण कार्यों पर स्वीकृत एवं अवमुक्त धनराशि से रु 92.48 लाख का अधिक व्यय किया गया।

सम्प्रेक्षा द्वारा पृच्छा करने पर कि किन कारणो से स्वीकृत एवं अवमुक्त धनराशि से अधिक व्यय किया गया, अधिक व्यय की गई धनराशि की व्यवस्था कहाँ से की गयी, जिन कार्यो की धनराशि इन पाँच

कार्यो पर व्यय की गयी है उनकी वर्तमान स्थिति क्या है एवं अधिक धनराशि व्यय करने के संबंध में शासन/विभागाध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त की गयी है आदि के संबंध में इकाई द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। इकाई द्वारा केवल यह बताया गया कि उपरोक्त पांचों निर्माण कार्य पूर्ण है।

अत: पाँच निर्माण कार्यों पर स्वीकृत एवं अवमुक्त धनराशि से रु 92.48 लाख अधिक व्यय किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर:2 रु 211.16 लाख जी एस टी की राशि ठेकेदारो द्वारा राजस्व विभाग मे जमा करने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये जाने का प्रकरण।

शासन के पत्रांक संख्या 2137/111(2)/17–27(सामान्य)/2007 दिनांक 05 सितम्बर 2017 में दिनांक 1.7.2017 से जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त देयकों के भुगतान/निविदा की प्रकिया सम्बन्धी दिशा–निर्देश मे case-1 में स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 30.6.2017 तक दाखिल एम0बी0 के सम्बन्ध में कर दायित्व वैट प्रणाली के अनुसार होगा तथा इसके उपरान्त प्रस्तुत एम0बी0 के सम्बन्ध में कर के दायित्व का निर्धारण जी0एस0टी0 के प्राविधानों के अनुसार होगा। इसके अतिरिक्त यदि इन्वाईस प्रस्तुत किया जाता है, तो इस बिल की तिथि को संविदाकार की कर देयता होगी।उत्तराखण्ड माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 2 की उप धारा 119 में "work contract" means a contract for building construction,Fabrication,completion,errection,installation,fittingout,improvement,modification,repair maintence, renovation, alteration or commissing of any immovable property wherein transfer of property in goods(whether as goods or in some other form) is involved in the execution of such contract का कार्य करने वाले संविदाकारों को भी डीलर (व्यौहारी) माना गया है, इसलिये प्रत्येक डीलर जिसका कारोबार उत्तराखण्ड में रू0 10.00 लाख प्रतिवर्ष है, उसे माल एवं सेंवाकर अधिनियम की धारा 22 के अनुसार पंजीकृत/रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। तथा प्रत्येक पंजीकृत/रजिस्टर्ड ब्यौहारी को अधिनियिम की धारा 31 के अनुसार बिक्री किये गये माल एवं सेवा की टैक्स इन्वाइस निर्धारित प्रारूप में जारी करना अनिवार्य है तथा जारी (Tax Invoice) बिक्री के बिलों पर अलग से बिल की धनराशि के साथ साथ सी0जी0एस0टी0 एवं एस0जी0एस0टी0 कर की मॉग अलग से प्रदर्शित करनी होगी, तभी उनकों अलग से देय कर सी0जी0एस0टी0 एवं एस0जी0एस0टी0 धनराशि को भुगतान पर किया जा सकता था, अन्यथा अलग से कर का भुगतान नही किया जा सकता । अधिनियम की धारा 122(1) की उप धारा (i) के अनुसार यदि कोई पंजीकृत/रजिस्टर्ड ब्यौहारी किसी बीजक के जारी किए बिना, किसी माल या सेवा या दोनों की पूर्ति करता है, या ऐसा किसी पूति के लिये झूठा या गलत बीजक जारी करता है तो वह अपराध करता है। या धारा 122 (3) (ड) इस अधिनियम या तद्वीन नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में बीजक को जारी करने में असफल रहता है, या अपनी लेखा पुस्तकों में बीजक के लिऐ कैफियत दने में असमर्थ रहता है, या धारा 132 (1) की उप धारा (क) इस अधिनियम या तद्वीन नियमों के उल्लंघन में किसी बीजक को जारी किए बिना ही किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति कर अपवंचन के आशय से करता है, तो ऐसी शस्ति के लिये दायी होगा जो पच्चीस हजार रूपये तक हो सकेगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता **निर्माण शाखा पेयजल निगम हरिद्वार** द्वारा लेखापरीक्षा को माह 10/2019 **से** 8/2020 तक जी एस टी की राशि रु 211.16 लाख भुगतान की गयी है परंतु खंड द्वारा

किसी भी ठेकेदार से कोई साक्ष्य नहीं लिया गया है । लेखापरीक्षा अवधि मे कुल रु 211.16 लाख जी एस टी राशि का भुगतान ठेकेदारो को किया था परंतु सभी प्रकार के भुगतान संविदाकार से टैक्स इनवाइस प्राप्त किये बिना ही कार्य संविदा की धनराशि का भुगतान किया गया था, जबकि संविदी विभाग के द्वारा संविदकार को कार्य संविदा की धनराशि का भुगतान जी0एस0टी0 के प्रावधानों के अनुसार जारी टैक्स इन्वाइस पर ही किया जाना चाहिऐ था, जैसाकि शासनादेश संख्या 2137 दिनांक 5 सितम्बर 2017 एवं जी0एस0टी0 अधिनियम 2017 के प्रावद्यानों में उल्लिखित था, अर्थात बिना टैक्स इन्वाइस प्राप्त किये संविदा कार्य की देय संविदा धनराशि और 12 प्रतिशत कर की धनराशि का भुगतान संविदाकार को प्रावद्यानों के विरूद्व किया गया था। इसलिये खण्ड कार्यालय के द्वारा कार्य संविदा की बिना टैक्स इन्वाइस प्राप्त किये भुगतान की गयी धनराशि एवं 12 प्रतिशत कर भुगतान की धनराशि संविदाकार से माल एवं सेवाकर अधिनियमों 2017 एवं नियम के अनुसार वसूली योग्य है, जोकि वसूली सम्प्रेक्षा में लम्बित रहेगी। क्योकि उपरोक्त से स्पष्ट है,कि रजिस्टर्ड ब्यौहारी संविदाकर की मंशा ही कर अपवंचन करने की थी, इसलिये उसके द्वारा अधिनियमों का पालन सुनिश्चित किये बिना ही संविदी विभाग से भुगतान प्राप्त किया गया था। इसलिये उस पर धारा 122 अपराध एवं शास्ति के प्रावद्यान भी लागू होगे। ठेकेदार द्वारा खंडीय कार्यालय को जी एस टी, की राशि राजस्व विभाग को जमा की गयी या नहीं कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है अत रु 211.16 लाख जी एस टी की राशि राजस्व के रूप मे जमा के बारे मे पूछे जाने पर कार्यालय द्वारा अपने उत्तर मे स्वीकार करते हुये बताया कि ठेकेदारो से साक्ष्य की मांग की जाएगी अत: रु 211.16 लाख जी एस टी की राशि ठेकेदारो द्वारा राजस्व विभाग मे जमा करने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर- 3: रु 101.71 लाख के बाउचर प्रस्तुत नहीं करने का प्रकरण।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, पेयजल निगम, हरिद्वार की लेखापरीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित पेयजल योजनाओं के मासिक लेखे एवं उपलब्ध कराये गये बाउचर के अनुसार व्यय में भिन्नता पायी गयी थी।

(रु लाख में)

स्वीकृत राशि	**अवमुक्त राशि**	**बिल के अनुसार व्यय**	**अप्रस्तुत बाउचर**	**योजना का नाम**
243.85	203.39	145.38	58.01	इब्राहिमपुर पेयजल योजना
243.26	206.68	162.98	43.70	एक्क्ड़ खुर्द पेयजल योजना
101.71				

उपरोक्त योजनाओं की कुल राशि रु 101.71 लाख के बाउचर के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने कोई उत्तर उपलब्ध नहीं कराया था परन्तु पुनः मांगे जाने पर विभाग ने अवगत कराया है कि- यह राशि सैन्टेज़ एवं यांत्रिक शाखा कोटद्वार को उपलब्ध कराई गई है। उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि यांत्रिक कार्य कोटद्वार खंड द्वारा किये जाते है परन्तु यह राशि यांत्रिक खंड कोटद्वार को ही प्रेषित की गई या नहीं इस आशय का कोई भी साक्ष्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

अत: रु 101.71 लाख राशि को विस्तृत बाउचर लेखापरीक्षा दल को प्रस्तुत नहीं किये जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण ।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
61/2006-07	1,2,3	1,2	01
35/2007-08	-	1,2,4,5,6	-
16/2009-10	01	01	-
73/2015-16	-	1,2,3,4,5	1,2 एवं Tan 1,2,3,4
122/2019-20	-	1,2,3,4	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			अनुपालन आख्या उच्च अधिकारियों के माध्यम से पूर्व मे ही प्रेषित की जा चुकी है ।	

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

<u>भाग-V</u>

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, पेयजल निगम, हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

(i)
(ii) **शून्य**

2. सतत अनियमितताएँ**: शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
01.	श्री मो मिशम	अधिशासी अभियन्ता	-

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, पेयजल निगम, हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी गई है कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप-महालेखाकार/AMG-II (Non-PSUs), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, द्वितीय तल, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, आई.पी.ई., देहरादून -248195** को प्रेषित कर दी जाये।

व. लेखापरीक्षा अधिकारी

AMG-II (Non-PSU)